

## छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

(दिसम्बर, 2020 सत्र)

(दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 से 30 दिसम्बर, 2020 तक)

प्रश्नोत्तरों के लिए विभाग के वर्ग, प्रत्येक विभाग के लिए प्रभारी मंत्री, उत्तर के लिए निश्चित दिनांक तथा उस दिनांक के लिए प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक दर्शाने वाला विवरण.

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>वर्ग - 1</b>			
सामान्य प्रशासन	मुख्यमंत्री	} सोमवार, 21 दिसम्बर, 2020 मंगलवार, 29 दिसम्बर, 2020	} शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2020 शुक्रवार, 04 दिसम्बर, 2020
वित्त	"		
ऊर्जा	"		
खनिज साधन	"		
जनसंपर्क	"		
इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	"		
विमानन	"		
सार्वजनिक उपक्रम	"		
जन शिकायत निवारण	"		
वन	वन मंत्री		
आवास एवं पर्यावरण	"		
परिवहन	"		
विधि एवं विधायी कार्य	"		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री		
ग्रामोद्योग	"		
<b>वर्ग - 2</b>			
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	पंचायत मंत्री	} मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2020 बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020	} शनिवार, 28 नवम्बर, 2020 शनिवार, 05 दिसम्बर, 2020
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	"		
चिकित्सा शिक्षा	"		
बीस सूत्रीय कार्यान्वयन	"		
वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.)	"		
वाणिज्य एवं उद्योग	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री		
वाणिज्यिक कर (आबकारी)	"		
उच्च शिक्षा	उच्च शिक्षा मंत्री		
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार	"		
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	"		
खेल एवं युवा कल्याण	"		
<b>वर्ग - 3</b>			
गृह	गृह मंत्री	} बुधवार, 23 दिसम्बर, 2020	} शनिवार, 28 नवम्बर, 2020
जेल	"		
लोक निर्माण	"		
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	"		
पर्यटन	"		
नगरीय प्रशासन एवं विकास	नगरीय प्रशासन मंत्री		
श्रम	"		
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	खाद्य मंत्री		
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	"		
संस्कृति	"		

विभाग	प्रभारी मंत्री	सभा में उत्तर के लिए निश्चित दिनांक	प्रश्नों की सूचना देने का अंतिम दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>वर्ग - 4</b>			
कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी	कृषि मंत्री	गुरुवार, 24 दिसम्बर, 2020	मंगलवार, 01 दिसम्बर, 2020
पशुधन विकास	"		
मछली पालन	"		
जल संसाधन	"		
आयाकट	"		
संसदीय कार्य	"		
महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास मंत्री	सोमवार, 28 दिसम्बर, 2020	गुरुवार, 03 दिसम्बर, 2020
समाज कल्याण	"		
<b>वर्ग - 5</b>			
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास	आदिम जाति विकास मंत्री		
स्कूल शिक्षा	"		
सहकारिता	"		
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	राजस्व मंत्री		
वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक)	"		

- नोट :-
- विवरण के कालम (3) व (4) में उल्लेखित दिनांक कालम (1) में दिये गये वर्ग के संपूर्ण विभागों को लागू होंगे।
  - प्रश्नों की सूचनाएं विधान सभा सचिवालय में राजपत्रित अवकाश को छोड़कर शेष दिन प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी।
  - प्रश्नों की सूचना छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय द्वारा प्रदाय किए गए तारांकित/अतारांकित प्रश्नों के मूल प्रपत्र पर ही मान्य की जावेगी।
  - नियम 31 के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में किसी भी नियत बैठक हेतु प्राप्त प्रथम 4 (चार) प्रश्नों की सूचनाओं के पश्चात् अतिरिक्त संख्या में प्राप्त होने वाले प्रश्नों की सूचनाओं तथा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली सूचनाओं के संबंध में यह माना जावेगा की वे सूचनाएं प्राप्त ही नहीं हुईं।
  - फैक्स से प्राप्त सूचनाएं संज्ञान में नहीं ली जाएगी।

रायपुर


दिनांक : 18 नवम्बर, 2020

पृ.क्र. 11701/वि.स./प्रश्न/2020

**प्रतिलिपि :-**

- समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा

हस्ता./-  
**चन्द्र शेखर गंगराडे**  
 प्रमुख सचिव  
 छत्तीसगढ़ विधानसभा  
 रायपुर, दिनांक : 18 नवम्बर, 2020

  
**चन्द्र शेखर गंगराडे**  
 प्रमुख सचिव  
 छत्तीसगढ़ विधानसभा